न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–13/2019 RCMS No - 2019|00035

उनवान –सरकार बनाम इन्द्रेश कुशवाह पुत्र बच्चूसिंह कुशवाह (मिठाई विकेता) तिराहा भरतपुर रोड सैपऊ निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –08.02.2020

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री इन्द्रेश कुशवाह पुत्र बच्चूसिंह कुशवाह (मिठाई विकेता) तिराहा भरतपुर रोड सैपऊ निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10. 2017 को अप्रार्थी की दुकान इन्द्रेश कुशवाह मिठाई विकेता, तिराहा भरतपुर रोड सैपऊ का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में एल्यूमिनियम की ट्रे में रखी लगभग 03 किलो ग्राम बर्फी जो कि (रिफाईण्ड पामोलिन तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं चीनी से निर्मित) विकेता इन्द्रेश कुशवाह द्वारा बताई गई थी जो आम जनता को विकय करने हेतु रखी थी। इन्द्रेश कुशवाह से खाद्य लाईसेंस वर्ष 2017 दिखाने हेतु कहा तो उसने लाईसेंस नहीं होना जाहिर किया। इस बर्फी (रिफाईण्ड पामोलिन तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं चीनी से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर उक्त बर्फी में से दो किलो ग्राम बर्फी वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से 300/– रू0 नकद देकर खरीदी गयी। उक्त बर्फी (रिफाईण्ड पामोलिन तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं चीनी से निर्मित) का नमूना डी–1419 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 के अनुसार उक्त बर्फी (रिफाईण्ड पामोलिन तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं चीनी से निर्मित) का नमूना एफएसएसए 2006 के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक (सबस्टैंडर्ड) प्रकृति का होना पाया गया। उक्त प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेंडर्ड बर्फी का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड बर्फी मिठाई बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है तथा विकेता के पास खाद्य पदार्थ लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2017 नहीं पाया गया है जो धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री इन्द्रेश कुशवाह पुत्र बच्चूसिंह कुशवाह (मिठाई विकेता) तिराहा भरतपुर रोड सैपऊ निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 500/रूपये एवं खाद्य पदार्थ लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2017 नहीं होने पर धारा 58 के तहत 500/–रूपये कुल राशि 1,000/–रू0 (कुल राशि एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट @ धौलपुर (राज.)